

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 266/2021
श्री नरेन्द्र सिंह राव पुत्र श्री हीर सिंह राव, निवासी रावों का सायरा, पोस्ट सायरा, तहसील
गोगुन्दा, जिला उदयपुर।

बनाम
लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनू।

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 03.01.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 14.12.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 266/2021 पर दिनांक 14.12.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनू के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020/3890-91 दिनांक 14.12.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनू ने पत्रांक एफ16(4)(5) न्याय/सू0अ0/21/2194 दिनांक 20.12.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री नरेन्द्र सिंह राव पुत्र श्री हीर सिंह राव, निवासी रावों का सायरा, पोस्ट सायरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर का आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 20.09.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16(4)(5) न्याय/सू0अ0/09/366 दिनांक 23.09.2021 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग, कलेक्ट्रेट झुंझुनू को नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाने हेतु पत्र भिजवाया गया। प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग, कलेक्ट्रेट झुंझुनू ने अपने पत्र क्रमांक 1098 दिनांक 08.10.2021 के द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवादी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।

जिला कलक्टर झुंझुनू

6. लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनूं पत्रांक एफ16(4)(5) न्याय/सू०अ०/21/2194 दिनांक 20.12.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री नरेन्द्र सिंह राव पुत्र श्री हीर सिंह राव, निवासी रावों का सायरा, पोस्ट सायरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर का आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे दिनांक 20.09.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16(4)(5) न्याय/सू०अ०/09/366 दिनांक 23.09.2021 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग, कलेक्ट्रेट झुंझुनूं को नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाने हेतु पत्र भिजवाया गया। प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग, कलेक्ट्रेट झुंझुनूं ने अपने पत्र क्रमांक 1098 दिनांक 08.10.2021 के द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवादी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 03.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू०डी०खान)

जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं

03/01/22